

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक SIKAR, राजस्थान

क्रमांक: डि.शिक्षा/मु.मा.प्रि/सी/मान्यता/2022/1488

दिनांक 01/12/2022

सचिव

प्रबंध समिति

VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोत्तरति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42077 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL पता VPO. BAORI BLOCK KHANDELA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय BAORI ब्लॉक KHANDELA आसा पास (पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण) gram post - bawadi tehsil- khandela खसरा नं. 319/2,316/2,314/2,1717/320 को शैक्षणिक सत्र से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	SHRI MADHOPUR
ग्राम पंचायत / यु एल बी	NAGAR PALIKA Reengus	ग्राम / वार्ड	Reengus (M) - Ward No. 10
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	NEEM NAGAR WARD NO. 10 RINGAS		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	KHANDELA
ग्राम पंचायत / यु एल बी	BAORI	ग्राम / वार्ड	Baori
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	VPO. BAORI BLOCK KHANDELA		
अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	Hindi		
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English		
विद्यालय का स्वीकृत कक्षा स्तर	1-12		
नाम परिवर्तन के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	VIVEKANAND PUBLIC SR. SECONDARY SCHOOL		
स्वीकृत नवीन नाम	GURUKRIPA SENIOR SECONDARY SCHOOL BAORI		
अतिरिक्त संकाय के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय का विवरण			
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Computer Science		
कला संकाय	Political Science, Geography, Hindi Literature, Drawing, Computer Science		
स्वीकृत अतिरिक्त संकाय का विवरण			
विज्ञान संकाय	Biology (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Mathematics (Science Stream), Physics (Science Stream)		
मान्यता का माध्यम	Hindi		

1. विद्यालय को नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनो के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तों आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा तथा वार्षिक सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of Improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयी नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

जिला शिक्षा अ
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

प्रपत्र-2

कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

क्रमांक:-जिशाअ/प्राशि/सी/मान्यता/आरटीई/2012/960

दिनांक-27/11/12

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

त्रिकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान, सीकर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता

प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 20/09/11 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पर्याप्तवर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ में मैं त्रिकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान, सीकर (विद्यालय का नाम और पता) को _____ से _____ तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा _____ से _____ तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता /सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या यथारिथति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगा।
4. पैरा -3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी /विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-
(A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा,
(C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
(D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
(E) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये,
(F) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें,परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

त्रिकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
सीकर(सीकर)

(2)

न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और

(H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक विद्याकलाओं में नहीं लगावेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 640 म² (2) कुल निर्मित क्षेत्र 360 म²

(3) खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र ६ (4) कक्षा के कमरों की संख्या 05

(5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष 1+1

(6) लडके और लडकियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर ६

(7) पीने के पानी की सुविधा ६ (8) मिड-डे मील पकाने के लिए रसोईघर नहीं

(9) अवसरोध विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता नहीं

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या SMPK 177 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

नोट :- R.T.E. के समस्त मानक 31 मार्च, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, सीकर (राजस्थान)
विश्वकामन्द पब्लिक स्की से स्कूल कार्यालय आदेश

61305061

राजस्थान-रीमाक (सीकरशेकड़) ज माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक- सिविल-माध्य/मा/अ-4 /21313/2010-11/ दिनांक 4-3-2010 एवं निर्देशालय के अनुमोदन दिनांक 14-5-2010 की पालना में नीचे अंकितानुसार गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निम्न शर्तों के अन्तर्गत पर सत्र 20010-11 से माध्यमिक स्तर पर कमीन्गति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नांकित विद्यालयों द्वारा परिशिष्ट-1 में आवेदन करने, शपथ पत्र व अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने एवं निर्धारित आरक्षित कोष/मान्यता शुल्क राशि जमा करवाये जाने एवं निरीक्षण दस्त की संकाय एवं अतिरिक्त विषय की अभिसंधा किये जाने पर उक्त मान्यता/कमीन्गति प्रदान की जा रही है।

- 1- संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी। राज्य सरकार/द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
- 2- संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
- 3- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की सद्योचित पालना की जायेगी।
- 4- संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- 5- संस्था सत्र 2010-11 में कक्षा 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2011-12 में 12वीं प्रारम्भ करेगी।
- 6- संस्था अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु पर्याप्त भवन एवं कक्षा कक्ष तथा प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करेगी।
- 7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय अथवा विभाग द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोटाही भाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
- 8- संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
- 9- संस्था को आवश्यक सत्र से प्रति तीन वर्ष के लिए भवन नुस्खा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर इसकार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 10- संस्था तत्काल अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र-क भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को जमा करा व अन्वया कमीन्गति आदेश जारी किए गए सत्र के लिए प्रभावी नहीं माने जायेंगे एवं विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा। प्रपत्र-क की एक प्रति आयुक्तानगर, बीकानेर को भी प्रस्तुत करनी होगी। समय पर प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षादिनों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित शाखा प्रधान की जिम्मेदार होंगे।
- 11- विद्यालय का नाम/सदन/सर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय के पते में बिना किसी राज्यकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं कमीन्गति के परभाव भी विभाग का ज्ञान दस्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यदि उक्त समय स्थान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी भाई गई तो संस्था की मान्यता/ कमीन्गति निरस्त कर दी जायेगी।
- 12- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं बांछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 13- शहरी क्षेत्रों में कक्षा 11वीं में छात्र संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएं आरम्भ नहीं की जावे।

उक्त माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति सूची सत्र 2010-11

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	माध्यम
1	विक्रान्त पब्लिक जमावि रामपुरा वैगा की नगरपाल	कला में विषय	चित्रकला, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य	हिन्दी
2	सेना बाल निकेतन जमावि कंधनपुर	कला में विषय	चित्रकला	हिन्दी
3	सीकरकी रमण जमावि सीकर	बाणिज्य	सेवा शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक सूचना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी

सचिव
 विश्वकामन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
 सीकर(बीकानेर)

क्र० स०	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	भाषा
4	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि दांतासमगढ	कृषि	रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दूध विज्ञान	हिन्दी
5	भगवती विद्या मन्दिर उमावि गोवटी	कला में विषय	चित्रकला, भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
6	ज्ञानदीप उमावि गुरारा	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
7	टेगोर पब्लिक उमावि सिरोही	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक श्रुतना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
		विज्ञान	भूविज्ञान	
8	शारदा सदन उमावि मोठी फाटक, नीमकाधाना	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, टंकन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
9	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि आभावावा	कला में विषय	चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
10	स्वामी विवेकानन्द उमावि ठिकरिया	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
11	श्री आदर्श विद्या मन्दिर उमावि श्रीमाधोपुर	वाणिज्य में विषय	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
12	सरस्वती बाल निकेतन उमावि अजीतगढ	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, टंकन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
13	आदर्श बाल उमावि घला	कला में विषय विज्ञान में विषय	अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान जीवविज्ञान	हिन्दी
14	सनराईज शिक्षण संस्थान उमावि तपीपल्या	वाणिज्य कला में विषय	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, अंग्रेजी साहित्य	हिन्दी
15	सरस्वती आदर्श विद्या मन्दिर उमावि पाटन	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
16	विवेकानन्द पब्लिक उमावि रींगस	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
17	राजस्थान पब्लिक उमावि षोई	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	माध्यम
18	विद्या भारती शिक्षण संस्थान उमावि अजीतगढ	वाणिज्य में विषय	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
19	प्रगति बाल मन्दिर उमावि पाटन	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
20	प्रिंस शिक्षण संस्थान उमावि खाटूरश्यामजी	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
21	फेण्डस पठउमावि सावलपुरा अलोदा	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
22	टैगोर उमावि शिक्षण संस्थान कल्याणपुरा थोई	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	हिन्दी
23	ज्योतिबा राव बाल भारती निकेतन उमावि भीमकाथाना	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
24	बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर	वाणिज्य	लेखा शास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
25	सेट जॉन पब्लिक उमावि श्रीमाधोपुर	वाणिज्य में विषय	आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,	हिन्दी
		कला	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राज्ञ विज्ञान, भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान	

जिले शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर
दिनांक 15-5-2010

क्रमांक-जिशिअ/मा0द्वि0/सी/मान्यता/2010-11/133

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर संभाग, जयपुर
- 5- सम्पादक दैनिक..... सीकर को निःशुल्क प्रकाशनाार्थ
- 6- सम्बन्धित विद्यालय

विदेकानन्द पब्लिक सी. सी. स्कूल
नीम नगर, बाईपास-रीगस (सीकर) जिला

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

सचिव
विदेकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
रीगस (सीकर)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, सीकर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक-409(2) शिक्षा-5/2005 जयपुर दिनांक 21.1.09 एवं 24.4.09 तथा निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविर-माध्य/ना/अ-4/21313/वे-2/2008-09/ दिनांक 5-6-2009 की पालना में नीचे अंकितानुसार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को निम्न शर्तों के अन्तर्गत सत्र 2009-10 से उच्च माध्यमिक स्तर पर कमौन्नति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नांकित विद्यालयों द्वारा परिशिष्ट-1 में आवेदन करने, शपथ पत्र व अप्पेंडर टेकिंग प्रस्तुत करने एवं निर्धारित आरक्षित कोष/मान्यता शुल्क राशि जमा करवाये जाने पर उक्त मान्यता/कमौन्नति प्रदान की जा रही है।

- 1- संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
- 2- संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
- 3- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जायेगी।
- 4- संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- 5- संस्था सत्र 2009-10 में कक्षा 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2010-11 में 12वीं प्रारम्भ करेगी।
- 6- संस्था अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु पर्याप्त भवन एवं कक्षा-कक्ष तथा प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करेगी।
- 7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय अथवा विभाग द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
- 8- संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
- 9- संस्था को आवश्यक रूप से प्रति तीन वर्ष के लिए भवन सुस्था प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 10- संस्था को मान्यता आदेश जारी होने के साथ ही बोर्ड से अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र-क भरकर जमा करा दें अन्यथा कमौन्नति आदेश जारी किए गए सत्र के लिए प्रभावी नहीं माने जायेंगे एवं विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा। प्रपत्र-क की एक प्रति आयुक्तालय, बीकानेर को भी प्रस्तुत करनी होगी। समय पर प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित शाखा प्रमाण ही जिम्मेदार होंगे।
- 11- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय की प्लॉ में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं कमौन्नति को परचासू भी विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/कमौन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
- 12- राज्य सरकार/विभाग द्वारा सत्र-2009-10 पर प्रस्तावित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं संचित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 13- शहरी क्षेत्रों में कक्षा 11वीं में छात्र संख्या 30 एवं छात्र संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएँ आरम्भ नहीं की जाते।

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर कमौन्नति की सूची			सत्र 2009-10
क्र. सं.	विद्यालय का नाम	माध्यम	संकाय नय ऐच्छिक विषय
1	2	3	4
1	आदर्श बाल विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, मावि, हाथीदेह (खण्डेला)	हिन्दी	कला संकाय - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
2	गंगा बाल विद्या मन्दिर, मावि, भीमकाथाना	हिन्दी	कला वर्ग - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरविज्ञान विज्ञान वर्ग - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
3	इण्डियन पब्लिक मावि, लाम्पुवा, चाया-रीगस (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास,
4	दिवेकानन्द पब्लिक मावि, रीगस	हिन्दी	कला-हिन्दी सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, कम्प्यूटरवि०,
5	विनायक शिक्षण संस्थान, मावि, रानीपुरा(कासरडा) (खण्डेला)	हिन्दी	कला -हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटरविज्ञान,
6	जे.आर.मेमोरियल शिक्षण संस्थान, मावि, चक गोपीनाथपुरा (दांता०)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
7	सरस्वती विद्या मन्दिर, मावि, भट्टा स्टेण्ड, जाजोद (खण्डेला)	हिन्दी	कला- हिन्दी सा०, भूगोल, सा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,

सचिव
दिवेकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
(सीकर)

(2)

8	ज्ञानदोप मावि, गुरास (खण्डेला)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र
9	बाल भारती मावि, पटवारी का बास (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास,
10	शास्त्री बाल माध्यमिक विद्या मन्दिर, लिसाडिया (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
11	युनिक पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, खण्डेला	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
12	श्री कृष्ण पब्लिक शिक्षण संस्थान, मावि, बासडीखुर्द (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, समाजशास्त्र, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
13	भगवती विद्या मन्दिर, मावि, गोवटी (दांता०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, रा०विज्ञान, इतिहास,
14	सरदार पटेल पब्लिक मावि, सिमारला जागीर (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
15	ग्रामीण आदर्श विद्या मन्दिर, मावि, लापुवा (श्रीमा०)	हिन्दी	कला - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान,
16	मीरा चरित्र निर्माण शिक्षा समिति, मावि, खूड (दांता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान विज्ञान वर्ग के विषय - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर वि०,
17	महर्षि दयानन्द मावि, मोदी अस्पताल के सामने, नीमकाधाना	हिन्दी	कला वर्ग के विषय - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, गृहविज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, विज्ञान वर्ग के विषय - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित वाणिज्य वर्ग के विषय - लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
18	टंगोर शिक्षा संस्थान, मावि, मण्ड मदनी (दांता०)	हिन्दी	कला हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान,
19	प्रिन्स शिक्षण संस्थान, मावि, कैलारा, पो-जालुण्ड, वावा-बाय(दांता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय - हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान, विज्ञान वर्ग के विषय - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
20	सेन्ट जॉन पब्लिक मावि, महरोली (श्रीमा०)	हिन्दी	कला हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास,

सचिव
विदेकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान 3
(श्रीकर)

(3)

21	ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, मावि, धींगपुर (दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान. वाणिज्य वर्ग के विषय- लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
22	प्रिन्स पब्लिक शिक्षण संस्थान, मावि, खाटूश्यामजी	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, रा०विज्ञान, अर्धशास्त्र, गणित, इतिहास, कम्प्यूटरवि वाणिज्य वर्ग के विषय- लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
23	संस्कार पब्लिक मावि, श्रीमाघोपुर	हिन्दी	कला- हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, रा०विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरवि
24	खण्डेला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान, मावि, खण्डेला	हिन्दी	वाणिज्य लेखाशास्त्र, व्यवसाय प्रबन्ध, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान,
25	सरस्वती पब्लिक मावि, रामपुरा बेगा की नांगल (नीग०)	हिन्दी	कला हिन्दीसा०, अंग्रेजीसा०, संस्कृतसा०, भूगोल, रा०विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटरवि, गृहविज्ञान, चित्रकला,
26	शहीद टी.आर. पब्लिक शिक्षण संस्थान, मावि, मगनपुरा, वाया-वाय(दाता०)	हिन्दी	कला वर्ग के विषय- हिन्दी सा०, अंग्रेजी सा०, संस्कृत सा०, भूगोल, रा०विज्ञान, चित्रकला, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास विज्ञान वर्ग के विषय- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित वाणिज्य वर्ग के विषय- लेखाशास्त्र, व्यवसायप्रबन्ध,कम्प्यूटरवि


Sd-

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर
दिनांक 15-6-2009

क्रमांक-जिशिअ/मा०द्वितीय/सी/मान्यता/2009-10/02

प्रतिलिपि- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 3- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर संभाग, जयपुर
- 5- सम्बन्धित विद्यालय



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

सचिव
शिवकानन्द पब्लिक स्कूल संस्थान
सीकर(सीकर)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (युप-5) विभाग, जयपुर के पत्रांक-प.9(2) शिक्षा-5/2005 दिनांक 28-5-2009 की पालना में निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को उनके द्वारा रूपये 15,000/- अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा कराये जाने पर शैक्षिक सत्र 2009-10 से कक्षा 11वीं के साथ 12वीं कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। कक्षा 11 में जिन विषयों/संकाय में मान्यता प्रदान की गई थी, कक्षा 12 में भी वही विषय/संकाय पढ़े जावें। शेष शर्तें इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	माध्यम
1	2	3
1	आदर्श बाल विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, मावि, हाथीदेह(खण्डेला)	हिन्दी
2	गंगा बाल विद्या मन्दिर, मावि, नीमकाथाना	हिन्दी
3	विदेकानन्द पब्लिक मावि, रीगस	हिन्दी
4	विनायका शिक्षण संस्थान, मावि, रानीपुरा(कासरडा) (खण्डेला)	हिन्दी
5	सरस्वती विद्या मन्दिर, मावि, भट्टा स्टेण्ड, जाजोद (खण्डेला)	हिन्दी
6	ज्ञानदीप मावि गुरारा (खण्डेला)	हिन्दी
7	शास्त्री बाल माध्यमिक विद्या मन्दिर, लिसाडिया (श्रीमा0)	हिन्दी
8	युनिक पब्लिक सेकण्डरी स्कूल, खण्डेला	हिन्दी
9	भगवती विद्या मन्दिर, मावि, गोवटी (दाता0)	हिन्दी
10	सरदार पटेल पब्लिक मावि, सिमारला जागीर (श्रीमा0)	हिन्दी
11	महर्षि दयानन्द मावि, मोदी अस्पताल के सामने, नीमकाथाना	हिन्दी
12	संस्कार पब्लिक मावि, श्रीमाधोपुर	हिन्दी
13	खण्डेला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान, मावि, खण्डेला	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

दिनांक 15-6-2009

क्रमांक-जिशिअ/मा.11/सी/मान्यता/2009/05

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- शासन सचिव, शिक्षा (युप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- उपशासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (युप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 5- सम्बन्धित संस्था प्रधान

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-द्वितीय, सीकर

क्रमांक: 13/3/विभा-5/2001

जयपुर, दिनांक :

19 July 2001

आदेश

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2004-05 से क्रमोन्मुख संबंधी
आरो आदेश का परिशिष्ट [सू-5 से क्रमोन्मुख स्तर पर]

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	जिला	विद्या का नाम एवं पता
1.	19	जयपुर	माठर्न पब्लिक स्कूल, बडोदामेव, पी.एम.डी.के पोस्ट, जयपुर।
2.	23	-	श्रीमती जनारती देवी उच्च प्राथमिक विद्यालय, महाग कला, तहसील मुण्डावर, जयपुर
3.	22	-	वास भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय, कटुनर, जयपुर
4.	13	-	श्री माठर्न पब्लिक स्कूल, महनूर तहसील बानसूर
5.	27	-	श्रीत श्यामली वास नदीचम विद्यालय, पिनान, जयपुर
6.	72	पुण्ड्र	आदर्श वास निवेशन, बासठ, पुण्ड्र
7.	44	-	श्री.आर.केमोरियन पब्लिक स्कूल, मेछूर, पुण्ड्र
8.	33	-	आचार्य हिन्द पब्लिक स्कूल, प्रभात सिनेमा के पी पुण्ड्र
9.	83	झींझूर	उदय शिवा निवेशन, नारायण ओलोनी, एस.पी. डी.डी के पास जी.टी.रोड, झींझूर
10.	82	-	अजित शान मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, कायस्थ पाठा बाडी, झींझूर
11.	86	-	उच्च प्राथमिक के.एम.पब्लिक स्कूल, पिरौली,
12.	17	जोधपुर	शारदा माण्टेसरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-2 कुडी अतासनी, जोधपुर
13.	87	-	श्री वास विहार शिक्षा संस्थान, उग्रतोषि मालावास, जोधपुर
14.	85	बाडमेर	टाईनी टाईन पब्लिक उग्रतोषि, लक्ष्मीपुरा माला बाडमेर के पास, बाडमेर
15.	83	भीमवाडा	आदर्श विद्यापीठ, उग्रतोषि आसीन्द, भीमवाडा
16.	17	भरतपुर	परिशिष्ट पब्लिक स्कूल, 12-क, 128 सिलक नगर, देवनाग उग्रतोषि विद्यालय, पुननगर, भरतपुर
17.	82	-	शिव आदर्श शिक्षा समिति उग्रतोषि, रुदावल,
18.	02	-	शिव वास विद्या मंदिर, ग्राम पूंगल, भीमवाडा
19.	87	वीरगनेर	वास विकास उग्रतोषि, वृषावास, वृह
20.	06	झु	

(Handwritten signature)

क्रमांक...2...

सचिव
विद्यार्थी संरक्षण विभाग
सिंधु (सीकर)

क्रमांक:प-10/3/2004/2004

जयपुर, दिनांक: 5 JUN 2004

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : गैर सरकारी विद्यालयों की उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सर्वेक्षण परिशिष्ट के अनुसार गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वेतन एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की अनुशाखा के पर सज्ज स्तर पर अनुमोदन उपरान्त निम्नांकित विद्यालयों को सत्र 2004-05 से माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नत की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

01. संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी।
02. संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
03. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम-1993 के प्रावधानों को यथोचित गालना दी जायेगी।
04. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती होगी।
05. पहले वर्ष में इन संकाय एवं विद्यार्थियों में अक्षा 9वीं प्रारम्भ की जायेगी एवं इसके बाद अक्षा 10वीं।
06. अतिरिक्त संकाय एवं विद्या के शिरो संस्था को पर्याप्त मूल्य एवं प्रयोगशाला आवधि की व्यवस्था करनी होगी। यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय इनमें कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करे पर भी विचार किया जायेगा।
07. संस्था को निर्दिष्ट आरक्षित सीटें रखा होगा एवं भवन सुरक्षा के संबंध में प्रति वर्ष सज्ज अधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र लेना होगा।
08. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर से जोड़ ही आदेशन पत्र (मान्यता हेतु) प्राप्त कर बाद प्रशिक्षण में निदेशानुसार की प्रेरिका करें।
09. विद्यालयों के पत्रों में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जाये एवं प्रमोन्नति के पश्चात भी विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यदि उस समय कथान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की प्रमोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

§ ज. क. जैस §
विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा

सचिव
विश्वविद्यालय पब्लिक स्कूल संस्थान
सींगस(सीकर)

सर्वोच्च न्यायालय की सुझाव एवं आत्मिक कार्यवाही :-

01. निदेश, माध्यमिक शिक्षा, राजा बीकानेर।
02. उप राजा शिक्षा, राजा, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
03. जिला शिक्षा, शिक्षा विभाग।
04. माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा।
05. माध्यमिक शिक्षा विभाग।
06. शिक्षा विभाग।

सुझाव

21	07	पुह	श्रीगांधी बाल निकेतन, रतनगढ़, पुह
22	18	सवाई-गांधीपुर	भारतीय बाल उद्योग विद्यालय, सलीदा गांधीपुर
23	04	---	श्रीमती. सवाई-गांधीपुर
24	07	जापुर	डेड रोज पब्लिक स्कूल, जापुर नगर, राजस्थान
25	01	सीकर	पिपला मेन्टल छोटागी विद्या कालोनी, जोधपुर रोड, जापुर
26	20	---	साखी पब्लिक स्कूल, साखी की कांठी रोड, सीकर
27	10	---	साखी पब्लिक स्कूल, साखी की कांठी रोड, सीकर
28	24	---	गुनिक शिक्षण संस्थान, नवलगढ़ रोड, सीकर
29	25	---	विक्रमनन्द पब्लिक स्कूल, सीकर

उत्तम पब्लिक स्कूल, उदयपुर विद्यालय, श्रीगणेशपुर
 राजस्थान सीकर जिला-सीकर
 गोपबका बाल विद्या निकेतन, रतनगढ़ रोड
 पात्र लक्ष्मणगढ़, सीकर

(Signature)

श्री. आर.के. जे. १
 विशिष्ट शासन सचिव, विद्या

सहायक सचिव

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा, श्रीगढ़

क्रमांक: 558

कक्षा-आदेश

दिनांक: 9-6-99

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में श्री विवेकानन्द जी की
 पत्राचार संख्या 1000/99 के अन्तर्गत पर विवेकानन्द पब्लिक स्कूल
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

- 1. श्रीगढ़ में कक्षा-5 का 50 प्रतिशत स्टाफ नियुक्ति कराया जाये।
- 2. प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
- 3. कक्षा-5 की सुविधा से कम से कम - - - - - उपस्थापक और लुगाने जाये और नो
 भूत लगाये जाये प्रविष्टि हो लगाये जाये।
- 4. श्रीगढ़ में कक्षा-5 की सुविधा में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
- 5. श्रीगढ़ में कक्षा-5 की सुविधा में राजकीय शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्य
 को सुविधा उपलब्ध कराया जाये।
- 6. श्रीगढ़ में कक्षा-5 की सुविधा में श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
- 7. श्रीगढ़ में कक्षा-5 की सुविधा में श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी / श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य - - - - - श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

क्रमांक: 1000/99-ग/श/आ/श्रीगढ़/558 दिनांक: 9-6-99

श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

- 1- श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
- 2- श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
- 3- श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य
 श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य श्रीगढ़ के प्रधानाचार्य

सचिव
 विवेकानन्द पब्लिक स्कूल श्रीगढ़
 श्रीगढ़ (सीकर)